संख्या-123/2026/1956/नौ-5-2026/001-Com.No-2007855

प्रेषक,

देवेश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रबंध, निदेशक,
उ०प्र० जल निगम (नगरीय),
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 15 मई, 2026

विषय:- राज्य सेक्टर कार्यक्रम की 'पेयजल हेतु व्यवस्था' योजना के अंतर्गत निम्नलिखित 03 निकायों में विभिन्न स्थानों में पेयजलापूर्ति से संबंधित कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में द्वितीय/अंतिम किश्त अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर कार्यक्रम के पेयजल हेतु व्यवस्था योजनान्तर्गत निम्नलिखित 03 निकायों के विभिन्न स्थानों में पेयजलापूर्ति से संबंधित कार्य हेतु शासनादेश संख्या-583/2026/नौ-5-2026/001-Com. No.-2007855 दिनांक 17-01-2025 के क्रमांक-03, 07 एवं 04 पर अंकित निकाय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि का व्यय हो जाने के दृष्टिगत द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में प्रस्तावित **रू0 238.03 लाख (रूपये दो करोड़ अड़तीस लाख तीन हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नांकित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू० लाख में)

क्र. सं.	**परियोजना का नाम**	**कुल स्वीकृत धनराशि**	**कुल स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा की धनराशि**	**अब तक कुल अवमुक्त धनराशि**	**अवशेष/ अवमुक्त की जा रही धनराशि (निविदा की धनराशि - अब तक अवमुक्त धनराशि)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	नगर पालिका परिषद, लखीमपुर-खीरी, लखीमपुर-खीरी के विभिन्न स्थानों पर पेयजल संबंधित कार्य	109.87	**109.10**	50.00	**59.10**
2	नगर पंचायत, मलिहाबाद, जनपद-लखनऊ के विभिन्न स्थानों पर पेयजल संबंधित कार्य	109.85	**108.97**	50.00	**58.97**
3	नगर निगम, लखनऊ, जनपद-लखनऊ के विभिन्न स्थानों पर पेयजल संबंधित कार्य	221.40	**219.96**	100.00	**119.96**
योग- रूपये दो करोड़ अड़तीस लाख तीन हजार मात्र		441.12	**438.03**	200.00	**238.03**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) तथा विशेष सचिव/ संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड -6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(4) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण संबंधित कोषागार से तत्संबंधी सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(6) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण हो जायें।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(10) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(11) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वर्क ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।

(12) परियोजना की स्वीकृति से संबंधित मूल शासनादेश में उल्लिखित प्रतिबंधों/शर्तो का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 2,38,03,000 (रुपये दो करोड़ अड़तीस लाख तीन हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215011010600 पेयजल हेतु व्यवस्था मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या-123/2026/1596(1)/नौ-5-2026/001-Com.No-2007855, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।

3- संबंधित जिलाधिकारी।

4-संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी ।

5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

6- नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।

7- निदेशक, सी०एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

8- परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं परिकल्प सेवायें(वि०/यां०, विंग) यूनिट-द्वितीय, उ०प्र० जल निगम(नगरीय)।

9- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत, लखीमपुर-खीरी/ मलिहाबाद, जनपद-लखनऊ । ।

10- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।

11- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

12- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

14- गार्ड फाईल/ कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-15/05/2026

प्रेषण संख्या:- 123
आवंटन आदेश संख्या:- 001-123-2026-1956-9-5-2026-001-CN-2007855
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनेत्तर-मतदेय)
01 - जलपूर्ति
101 - शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम
06 - पेयजल हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	23803000 23803000	23803000 23803000
	योग	वर्तमान प्रगामी	23803000 23803000	23803000 23803000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ अड़तीस लाख तीन हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ अड़तीस लाख तीन हजार

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव